-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 22.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 06 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 18300 हजार रुपए नगद व ताला तोडने वाली रॉड़ बरामद । घटना मे प्रयुक्त चारपहिया वाहन को किया गया सीज ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा चोरी, टप्पेबाजी, नकबजनी के मामलों वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 06 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम पिपरी के रहने वाले साकेत सिंह द्वारा दिनांक 20.07.2025 को अपने घर सें अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किए जाने के संबंध में सूचना दी । सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली देहात परअभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया । इस क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तों की पहचान करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों को आरटीओ चौराहा के पास निर्माणाधीन अस्पताल के सामने ग्राम गुरेह से 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से एक ताला तोड़ने वाली सहित नगद 18300 रुपए बरामद हुए। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसने बताया कि दिनांक 20.07.2025 की रात्रि को ग्राम पिपरी में 02 घरों में चोरी की थी जिसमें एक घर में 3500 रुपए नगद तथा 02 चांदी की चूड़ी, 01 जोडी बिछिया व 01 जोडी पायल मिला था तथा दूसरे घर में 01 लोहे का बक्सा हम लोग चोरी करके घर के बाहर तक ले आये थे परन्तु गांव बालों के आता देख हम लोग अपनी चारपहिया गाड़ी से भाग गए थे। चोरी के आभूषणों को हमने राह चलते लोगों को 14800 रुपए मे बेच दिया था। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया गए आभूषणों की बिक्री से प्राप्त 14800 रुपए व 3500 नगद, कुल 18300 रुपए बरामद किए गए हैं।

बरामदगी-

- 18300 नगद रुपए।
- एक ताला तोडने वाली रॉड़
- घटना मे प्रयुक्त चारपहिया वाहन

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मनीष कुमार साहू पुत्र शिवस्वरूप साहू उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम वीरा थाना कमासिन जिला बांदा
2. जानकी यादव पुत्र लक्ष्मी प्रसाद यादव उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम वीरा थाना कमासिन जिला बांदा
3. रामहित यादव पुत्र रामसुफल यादव उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम वीरा थाना कमासिन जिला बांदा
4. राजकुमार साहू पुत्र रामकिशोर साहू उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम वीरा थाना कमासिन जिला बांदा
5. छोटेलाल यादव पुत्र चुनकू प्रसाद यादव उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम वीरा थाना कमासिन जिला बांदा
6. लवलेश यादव पुत्र कामता प्रसाद यादव उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम वीरा थाना कमासिन जिला बांदा

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अं0सं0 174/25 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 अनूप कुमार दुवे
2. उ0नि0 शमीम अहमद सिद्दीकी
3. उ0नि0 राजेश चन्द्र प्रेमी
4. का0 राघवेन्द्र सिंह
5. का0 उदय सिंह
6. का0 गोकरण सिंह